

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 1010/2012/उदयपुर.

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, उदयपुर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स जी.आर. इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, उदयपुर.

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री नत्थूराम, सदस्य

श्री के. एल.जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर. के. अजमेरा,

उप राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

प्रत्यर्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित

दिनांक : 15/02/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी राजस्व द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 287/ETLA/2010-11 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 82 सपटित स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 (जिसे आगे 'प्रवेश कर अधिनियम' कहा जायेगा) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 02.02.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है जिसमें प्रत्यर्थी व्यवसायी की अपील आंशिक स्वीकार की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी ठेकेदार के रूप में पंजीकृत है एवं आलौच्य अवधि वर्ष 2008-09 में समस्त संविदा कार्यों के लिये करमुक्ति शुल्क प्रमाण-पत्र प्राप्त किया गया था। प्रत्यर्थी व्यवहारी के कार्य सम्पादन हेतु कुछ मशीनरी जिसमें हाइड्रोलिक डम्पर, क्रेन, एक्सकेवेटर, मोटर ग्रेडर एवं वाहनों के संचालन के लिये एच.एस.डी. डीजल फर्नेस ऑयल, एल.डी. ओ. आदि भी राज्य के बाहर से क्रय किये गये थे। उक्त वस्तुओं पर सहायक आयुक्त, वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, उदयपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा प्रवेश कर अधिनियम के तहत करारोपण किया गया था जिसे प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर यह चुनौती दी गयी कि व्यवहारी द्वारा संविदा कार्यों के लिये प्रयुक्त वस्तुओं पर प्रवेश कर का दायित्व नहीं है क्योंकि उनके द्वारा राज्य में कर चुका दिया गया है जिसका आधार यह लिया गया कि उनके द्वारा जो करमुक्ति शुल्क प्रमाण-पत्र प्राप्त किया गया है वह मुक्ति शुल्क उनके द्वारा चुकाये जाने वाले

२७

लगातार.....2

कर दायित्व के एवज में चुकाया गया है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार की अधिसूचना एफ.12(14)एफडी/टैक्स/2006-138 दिनांक 08.03.2006 के अनुसार प्रवेश कर से मुक्ति प्राप्त होती है।

3. अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर हाइड्रोलिक डम्पर, क्रेन, एक्सकेवेटर, मोटर ग्रेडर, डी.जी.सेट, टायर-ट्यूब, ग्लास ग्रिट, वे-ब्रिज पर आरोपित किये गये कर को कायम रखा गया एवं अपीलार्थी द्वारा उपयोग में लिये गये एच.एस.डी. डीजल फर्नेस ऑयल पर आरोपित कर के बिन्दु पर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि यदि यह माल संविदा कार्यों में प्रयुक्त हुआ है तब उस स्थिति में कर नहीं लगाया जावे अन्यथा करारोपण किया जावे।

4. अपीलार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा एच.एस.डी. डीजल फर्नेस ऑयल पर किये गये करारोपण के बिन्दु पर जो निर्णय किया गया है वह अविधिक है क्योंकि उक्त माल संविदा कार्यों में हस्तान्तरित नहीं हुआ है। उन्होंने कथन किया कि उक्त अधिसूचना क्रमांक 2006-138 दिनांक 08.03.2006 में उन वस्तुओं को प्रवेश कर से मुक्त किया गया है जिस पर राज्य का कर चुका दिया गया हो। तर्क दिया कि उक्त विवादित माल पर कर का भुगतान किया जाना नहीं माना जा सकता क्योंकि ये सभी वे माल हैं जो कार्य संविदा के दौरान हस्तान्तरित नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में उन पर कर अदा किये जाने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। अतः यह माल कर योग्य होने से इस बिन्दु पर किये गये प्रतिप्रेषित आदेश को निरस्त किया जावे। अपने कथन में यह भी तर्क दिया कि अपीलीय अधिकारी ने अपने निर्णय में कर निर्धारण आदेश को उक्त बिन्दुओं पर प्रतिप्रेषित किया जाना उल्लेखित किया है जबकि यह मामला प्रतिप्रेषण का नहीं होकर विधिक बिन्दु के निर्णयाधीन था कि संविदा कार्यों में मुक्ति शुल्कदाता को उक्त अधिसूचना के तहत प्रवेश कर से मुक्ति प्राप्त होगी अथवा नहीं। अतः अपीलीय आदेश को अपास्त करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ अतः एकपक्षीय बहस सुनी गयी एवं अपीलीय सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत कथनों का अवलोकन किया गया।

6. अपीलीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील में किये गये कथनों पर विचार किया गया। अपीलीय अधिकारी द्वारा दिये गये निर्णय में यह विधिक बिन्दु तय किया गया है कि यदि एच.एस.डी. डीजल

फर्नेस ऑयल का उपयोग यदि ई.सी. के अन्तर्गत संविदा कार्यों में प्रयुक्त हुआ है तो उस पर कर नहीं लगावें अन्यथा करारोपण करें। इस निर्देश से यह स्पष्ट होता है कि अपीलीय अधिकारी ने ई.सी. के तहत कार्यों में प्रयुक्त विवादित माल जो कि कन्ज्यूमेबल गुड्स है एवं संविदा कार्यों में माल का हस्तान्तरण नहीं होता है जिसका मुक्ति शुल्क प्रमाण-पत्र नहीं होने पर भी करारोपण नहीं हो सकता क्योंकि संविदा कार्यों में केवल उसी माल पर करारोपण हो सकता है जिसका हस्तान्तरण संविदा कार्यों के अवार्डर को होता है।

7. इस सम्बन्ध में अतिरिक्त आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग का राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 की धारा 40 में पारित निर्णय दिनांक 28.05.2003 प्रत्यर्थी को कोई सहायता प्रदान नहीं करता है क्योंकि उस निर्णय में केवल उस माल पर प्रवेश कर से मुक्ति दिया जाना निर्णीत किया है जिस पर राज्य में देय कर चुका दिया जाता है।

8. इस प्रकरण में यह विश्लेषण करना उचित होगा कि प्रवेश कर अधिनियम के तहत उक्त अधिसूचना दिनांक 08.03.2006 के अनुसार जिस माल पर वेट चुका दिया जाता है उससे करमुक्ति प्राप्त होती है। प्रत्यर्थी व्यवहारी का यह कथन कि उनके द्वारा संविदा कार्यों में आरोपणीय कर के एवज में उनके द्वारा पूरे टर्नओवर पर करमुक्ति शुल्क दिये जाने का विकल्प ले लिया गया है अतः उनके द्वारा करमुक्ति शुल्क का भुगतान करना माने जाने योग्य है वह विधिसम्मत है परन्तु इस बिन्दु पर यह विचारणीय है कि करमुक्ति शुल्क किस कार्य संविदा के पूरे टर्नओवर पर चुकाया जाता है। इससे यह अभिप्राय है कि कार्य संविदाकार के द्वारा जो भी माल हस्तान्तरित होता है उन पर जो कर देय होता है उसकी एवज में ही करमुक्ति शुल्क दिया जाता है इसका अर्थ यह है कि जो भी माल कार्य संविदा में प्रयुक्त होते हैं और वे सभी माल जो भी अवार्डर को हस्तान्तरित होते हैं उन्हें Deemed Sale माना जाता है परन्तु वे माल जो संविदाकार से अवार्डर को हस्तान्तरित नहीं होते हैं, वे Deemed Sale में सम्मिलित नहीं होते हैं एवं उस पर कोई कर देय नहीं होता है इससे यह स्पष्ट होता है कि यह माल अवार्डर को हस्तान्तरित नहीं होते हैं ऐसी स्थिति में उन पर कोई कर भी देय नहीं होता है एवं उसके विरुद्ध मुक्ति शुल्क का भी कोई प्रभाव नहीं होता है ऐसी स्थिति में करमुक्ति की अधिसूचना दिनांक 08.03.2006 का प्रभाव इन वस्तुओं पर नहीं दिया जा सकता क्योंकि इन वस्तुओं पर राज्य के वेट अधिनियम के तहत कर का कोई भुगतान संविदाकार द्वारा नहीं किया गया है। उक्त अधिसूचना दिनांक 08.03.2006 का लाभ तभी प्राप्त योग्य होता है जब राज्य में वेट अधिनियम के तहत कर देय हो एवं उसका भुगतान हो

27





लगातार.....4

गया हो, जबकि इस प्रकरण में उक्त वस्तुओं पर कर का भुगतान नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में इन पर प्रवेश कर देय होने से कर निर्धारण आदेश में आरोपित प्रवेश कर की पुष्टि की जाती है एवं अपीलीय आदेश में उक्त बिन्दु पर प्रकरण प्रतिप्रेषित करने के आदेश को अपास्त किया जाता है। उक्तानुसार कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 10.12.2010 को पूर्णतया पुनर्स्थापित किया जाता है।

9. परिणामस्वरूप अपीलार्थी राजस्व की अपील स्वीकार की जाती है।

10. निर्णय सुनाया गया।


(के. एल. जैन)
सदस्य


(नत्थूराम)
सदस्य